निश्चित तिथिः 18–09–2020

माननीय सदस्य विधानसभा श्री इन्द्र दत्त लखनपाल द्वारा नियम–324 के अन्तर्गत प्रदत्त नोटिस का उत्तरः–

"प्रदेश में कार्यरत आशा कार्यकर्त्ताओं को सरकार कोविड–19 महामारी के चलते कोई प्रोत्साहन राशि देने का विचार रखती है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय,

माननीय सदस्य ने निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान आकर्षित किया है:

सर्वविदित है कि कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान प्रदेश में कार्यरत आशा कार्यकत्ताओं ने अविस्मरणीय व उत्कृष्ट कार्य किया है। इन्होंने तृणमूल स्तर तक इस बोमारी के बारे में लोगों को जागरूक किया है एवं प्रतिरक्षा, बचाव व निदान से सम्बन्धित समग्र जानकारी जनसाधारण को उपलब्ध करवाई है। इसके अतिरिक्त आशा कार्यकर्त्ताओं ने निगरानी कर्मियों के तौर पर गृह–संगरोध में रह रहे लोगों की निगरानी और गृह–एकांत (Home isolation) में रह रहे कोविड के मरीजों की देखभाल के दायित्व को समर्पण व कर्त्तव्यनिष्ठा को भावना से सम्पन्न किया है। अभी भी कोविड–19 के प्रति आशा कार्यकर्त्ताओं के नियन्त्रण प्रयास जारी हैं। आशा कार्यकर्त्ताओं ने Active Case Finding (ACF) अभियान के अन्तर्गत जनहित में अपना बहुमल्य योगदान भी दिया है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हिमाचल प्रदेश ने आशा कार्यकर्त्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबकास्ट के माध्यम से समय–समय पर संवाद किया, कोविड–19 महामारी के दौरान उनके द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों और कठोर परिश्रम की सराहना तथा उनकी समस्याओं का अनुश्रवण व निदान किया तथा उनके मनोबल को सम्बल प्रदान किया।

आशा कार्यक्रम भारत सरकार के दिशा–निर्देशों पर आधारित है। आशा एक ऐसी स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता है, जिसे भारत सरकार के मानकों के अनुसार प्रदर्शन आधारित (Performance based) प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा ₹ 2000/–और प्रदेश सरकार द्वारा ₹ 1500/–की मासिक निश्चित प्रोत्साहन राशि आशा कार्यकर्त्ताओं को प्रदान की जा रही है। दिनांक 01.07.2019 से पूर्व राज्य सरकार द्वारा ₹ 1250/– की निश्चित प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। इसे ₹ 1500 प्रति माह करने में ₹ 32,06,296 का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव हुआ।

कोविड–19 महामारी के दौरान आशा कार्यकर्त्ताओं के श्रेष्ठ एवं अनुकरणीय कार्य के दृष्टिगत राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि इन सभी कार्यकर्त्ताओं को उनकी देय राशि के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाए। मार्च से जून, 2020 तक कोविड–19 सम्बन्धित गतिविधियों के लिए प्रतिमाह ₹ 1000/– की अतिरिक्त राशि दी गई। जुलाई और अगस्त, 2020 के महीने के लिए आशा कार्यकर्त्ताओं को प्रतिमाह ₹ 2000/–की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान (Himachal Pradesh State Disaster Management Authority-COVID-19-State Disaster Response Fund) के अन्तर्गत किया गया जिससे 7964 आशा कार्यकर्त्ता लाभान्वित हुईं तथा इस प्रयोजनार्थ ₹ 3,18,56,000/- का व्यय हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार समस्त कोरोना योद्धाओं, विशेषतया आशा कार्यकर्त्ताओं की विषम परिस्थितियों में अहर्निशं प्रदत्त निःस्वार्थ सेवाओं के प्रति सजग, कृतज्ञ एवं संवेदनशील है तथा उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु कृतसंकल्प है।